ए.

पंजाब राज्य

वी.

पंजाब के राज्यपाल को प्रधान सचिव

और एक और

(28 फरवरी, 2023 को लिखित याचिका (सिविल) संख्या 2023)

बी.

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** सीजेआई और पामिदिघांतम श्री नरसिम्हा**,** जे।**]**

भारत का संविधान-Art.174-राज्यपाल ने मुख्यमंत्री (CM) को एक पत्र (दिनांक 13.02.2023) संबोधित किया जिसमें कुछ मुद्दों पर उनकी चिंता को उजागर किया गया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने एक पत्र और एक 'ट्वीट' के माध्यम से जवाब दिया था (मांगी गई प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी)-राज्यपाल ने नोट किया कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्राचार में संविधान के अनुच्छेद 167 के जनादेश को रेखांकित किया, जिसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगे गए पूर्ण विवरण और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं-<ID2 पर, पंजाब सरकार के मंत्रिपरिषद ने अनुच्छेद 174 (1) के तहत 03.03.2023 पर विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की-पंजाब के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें पत्राचार के पूर्व आदान-प्रदान का उल्लेख किया गया था।दिनांक 1 (याचिका की स्थापना के बाद) के आदेश के संदर्भ में, राज्यपाल ने विधानसभा को उसके चौथे (बजट) सत्र के लिए बैठक करने के लिए बुलाया था, इस प्रकार मांगी गई राहत काफी हद तक पूरी हो गई है-इसके अलावा, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर कानूनी सलाह लेने का कोई अवसर नहीं था, राज्यपाल स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सलाह से बाध्य थे।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत का संविधान-Art.167-का दायरा-आयोजितःमुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करे जिसकी राज्यपाल को आवश्यकता हो -

एच.

532 ए.

533

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के लिए प्रधान सचिव और एक अन्य ए

राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत जो जानकारी चाहते हैं, वह उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाएगी-मुख्यमंत्री से अनुच्छेद 167 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है ताकि राज्यपाल संविधान में निर्धारित अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

बी.

पकड़नाः**1.**पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य की सोलहवीं विधानसभा को अपने चौथे **(**बजट**)** सत्र के लिए **3** मार्च **2023** को सुबह **10** बजे बैठक करने के लिए बुलाया है। राज्यपाल द्वारा उपरोक्त आदेश जारी किए जाने के साथ, याचिका में मांगी गई राहत काफी हद तक पूरी हो गई है।**[**पैरा **15,16] [538-**जी**-**एच**]**

सी.

2. मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून बनाने के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को बताए।संवाद करने के कर्तव्य से परे जाकर, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करे जिसकी राज्यपाल को आवश्यकता हो।इसके अलावा, यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह किसी भी मामले पर विचार के लिए मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करे, जिस पर निर्णय एक मंत्री द्वारा लिया जाता है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।**[**पैरा **18] [539-**ई**-**एफ**]**

डी.

ई.

3. अनुच्छेद **167** के तहत जानकारी प्राप्त करने की राज्यपाल की शक्ति को संविधान के तहत संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनके कर्तव्यों के संदर्भ में समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। राज्यपाल अनुच्छेद **167** के तहत जो जानकारी चाहते हैं**,** वह उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाएगी।उदाहरण के लिए**,** राज्यपाल के पास विधानसभा में पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की शक्ति है।राज्यपाल के लिए यह निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त निर्णय लेने में उनकी सहायता करने वाली सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।इसी तरह**,** राज्यपाल को यह पहचानने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी की आवश्यकता होती है कि क्या किसी मंत्री द्वारा परिषद के विचार के बिना व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय लिया गया है।राज्यपाल अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकते हैं।

एफ.

जी.

एच.

अनुच्छेद **167 (**सी**)** के तहत यदि मुख्यमंत्री अनुच्छेद **167 (**ए**)** और अनुच्छेद **167 (**बी**)** के तहत राज्यपाल को अनुरोध के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है।इस प्रकार**,** मुख्यमंत्री को अनुच्छेद **167** के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है ताकि राज्यपाल संविधान में निर्धारित अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।**[**पैरा **19] [539-**जी-एच**; 540-**ए-बी**]4.** सदन को बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद के अनुरोध का जवाब देते हुए**, 23** फरवरी **2023** को राज्यपाल के संचार में मंत्रिमंडल के निर्णय का उल्लेख किया गया।हालाँकि**,** राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के ट्वीट और **14** फरवरी **2023** के उनके पत्र का भी उल्लेख किया और फिर कहा कि चूंकि ट्वीट और पत्र दोनों "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" और "बेहद अपमानजनक" थे**,** इसलिए वह "इस मुद्दे पर" कानूनी सलाह लेने के लिए मजबूर थे और इसके बाद वह अनुरोध पर निर्णय लेंगे।विधान सभा का बजट सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं**,** इस पर कानूनी सलाह लेने का कोई अवसर नहीं था।राज्यपाल स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सलाह से बंधे थे।**[**पैरा **23] [543-**डी-एफ**]**

बी.

सी.

डी.

5. विवाद की उत्पत्ति के लिए दो अलग-अलग स्तरों पर इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है:पहला, यह सुनिश्चित करना कि विधान सभा को बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य बिना किसी देरी या आपत्ति के पूरा हो; और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि संविधान के अनुच्छेद **167 (**बी**)** के संदर्भ में राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का दायित्व पूरा हो।संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए दो समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं।पहला, संविधान के एक विशिष्ट प्रावधान के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में एक संवैधानिक प्राधिकरण की विफलता दूसरे को अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने से इनकार करने का औचित्य प्रदान नहीं करती है।दूसरा, जबकि यह न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद **19 (1) (**ए**)** में सन्निहित मौलिक मूल्य के महत्व से अवगत है, इस बात पर जोर देना आवश्यक हो जाता है कि संवैधानिक विमर्श को शिष्टाचार और परिपक्व राजनीतिक कौशल की भावना के साथ संचालित किया जाना चाहिए।**[**पैरा **25] [544-**सी**-**ई**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

535

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के लिए प्रधान सचिव और एक अन्य ए

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य **(1974) 2** एससीसी **831:[1975] 1** एस**.** सी**.** आर**. 814;** नबाम रेबिया बनाम डी**.** अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा **(2016) 8** एस**.** सी**.** सी**.**

1:[2016] 6 एस**.** सी**.** आर**. 1-**अनुसरण किया गया।मामला कानून संदर्भ

बी.

[1975] 1 एससीआर **814**

पीछा किया।

पैरा **21**

[2016] 6 एससीआर **1**

पीछा किया।

पैरा **22**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2023 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 302।

सी.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

शादान फरासत, ए. ए. जी., डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अमित भंडारी, शौर्य दासगुप्ता, सुश्री हृषिका जैन, सुश्री म्रेगांका कुकरेजा, अमन नकवी, अधिवक्ता। याचिकाकर्ता के लिए।

तुषार मेहता, एस. जी., सत्यपाल जैन, ए. एस. जी., कानू अग्रवाल, माधव सिंहल, कार्तिकेय अग्रवाल, अजय पाल, करण शर्मा, मयंक दहिया, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

डी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

ई.

1. 22 फरवरी 2023 को पंजाब सरकार की मंत्रिपरिषद ने संविधान के अनुच्छेद 174 (1) के तहत 3 मार्च 2023 को सोलहवीं पंजाब विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की सिफारिश की।

2. 23 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल ने राज्य के मुख्यमंत्री को एक संदेश संबोधित किया।पत्र का विषय थाः

एफ.

“3 मार्च 2023 को राज्य के विधानमंडल के सदन को बुलाने पर मंत्रिमंडल का निर्णय।”

3. राज्यपाल का पत्र राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पत्राचार के पूर्व आदान-प्रदान को संदर्भित करता है; राज्यपाल ने 13 फरवरी 2023 के पहले के संचार को संबोधित किया था, जिस पर मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी 2023 को एक पत्र और उसी तारीख के एक 'ट्वीट' के माध्यम से जवाब दिया था।

जी.

एच.

4. 13 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने पत्र में राज्यपाल ने कुछ विशिष्ट मुद्दों पर अपनी चिंता पर प्रकाश डाला, अर्थात्:(i) प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर भेजे जाने के लिए प्रधानाचार्यों का चयन किस आधार पर किया गया था; और

((ii) पंजाब सूचना और संचार प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड के अध्यक्ष की नियुक्ति।

बी.

5. राज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पिछले पत्राचार में उस जनादेश को रेखांकित किया था जिसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है, संविधान के अनुच्छेद 167 के संदर्भ में, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा मांगी गई पूरी जानकारी देने के लिए बाध्य हैं।

सी.

6. उपरोक्त दो मुद्दों के अलावा, राज्यपाल ने निम्नलिखित मामलों पर स्पष्टीकरण मांगाः

“(क) सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का वितरण न करने के कारण लगभग दो लाख अनुसूचित जाति के छात्र अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर थे।(अक्षर No.Spl.Secy।gov/2022/95 दिनांकित 21-07-2022)।

डी.

(ख) पी. ए. यू. के अवैध रूप से नियुक्त कुलपति को पत्र No.5/1/2021-PRB-PAU-2G/6904 दिनांक 23-11 के माध्यम से हटाना -22.

ई.

(ग) मेरे विस्तृत पत्र दिनांक 14-12-2022 के बावजूद आपने श्री के सभी कुकर्मों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। कुलदिप सिंह चहल, आई. पी. एस. आपने न केवल उन्हें पदोन्नत किया है, बल्कि उन्हें जालंधर के आयुक्त के रूप में भी नियुक्त किया है और वह भी 26 जनवरी से ठीक पहले आदेश जारी किए जा रहे हैं, यह जानते हुए कि राज्यपाल को जालंधर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना है।मुझे डी. जी. पी. को निर्देश देना पड़ा कि संबंधित अधिकारी समारोह के दौरान दूरी बनाए रखें।इस मुद्दे पर ऐसा लगता है कि यह अधिकारी आपकी नीली आंखों वाला लड़का था और आपने उन तथ्यों को नजरअंदाज करना चुना जो इस कार्यालय द्वारा आपके ध्यान में लाए गए थे।

एफ.

जी.

(घ) 4-1-2023 दिनांकित पत्र के माध्यम से मैंने श्री की उपस्थिति के बारे में लिखा। वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में नवल अग्रवाल, जहां देश की सुरक्षा के संवेदनशील और गोपनीय मामलों पर चर्चा की जाती है।मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला है।

एच.

537

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

(ङ) विज्ञापनों का विवरण मांगने वाले मेरे पत्र भी शायद ठंडे बस्ते में पड़े हैं, जिनमें आपसे पूरा विवरण मांगा गया था।"

7. उपरोक्त संचार का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री (@भगवंत मान) ने निम्नलिखित शब्दों में एक ट्वीट जारी कियाः

बी.

"माननीय राज्यपाल महोदय, आपका पत्र media.all के माध्यम से प्राप्त हुआ था, पत्र में उल्लिखित सभी विषय राज्य subjects.I हैं और मेरी सरकार संविधान के अनुसार 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह है, न कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किसी राज्यपाल के प्रति।इसे मेरे जवाब के रूप में देखें।"

सी.

8. इसके बाद 14 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री का एक और संदेश आया, जिसमें उन्होंने इस प्रकार कहाः

"डी. ओ. No.CMO/CONFI-2023/132 दिनांकः14.02.2023 माननीय राज्यपाल साहब,

डी.

मुझे आपका पत्र No.Spl.Secy प्राप्त हुआ है।गव/2023/34 दिनांक 13 फरवरी, 2023।

आपके पत्र में उल्लिखित सभी विषय राज्य सरकार के विषय हैं।इस संबंध में, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुसार, मैं और मेरी सरकार 3 करोड़ पंजाबियों के प्रति जवाबदेह हैं।

ई.

आपने मुझसे पूछा है कि सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए प्राचार्यों का चयन किस आधार पर किया जाता है।पंजाब के लोग पूछना चाहते हैं कि भारतीय संविधान में किसी विशिष्ट योग्यता के अभाव में केंद्र सरकार द्वारा चुने गए विभिन्न राज्यों के राज्यपाल किस आधार पर हैं?

एफ.

कृपया यह बताकर पंजाबियों का ज्ञान बढ़ाएँ।"

9. मुख्यमंत्री द्वारा उपरोक्त संचार और उनके ट्वीट की पृष्ठभूमि में, राज्यपाल ने 3 मार्च 2023 से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने के मंत्रिमंडल के अनुरोध का जवाब देते हुए कहा किः

जी.

"चूंकि आपका ट्वीट और पत्र, दोनों ही न केवल स्पष्ट रूप से असंवैधानिक हैं, बल्कि बेहद अपमानजनक भी हैं, इसलिए मैं इस मुद्दे पर कानूनी सलाह लेने के लिए मजबूर हूं।कानूनी सलाह मिलने के बाद ही मैं आपके अनुरोध पर निर्णय लूंगा।

एच.

10. बजट सत्र के लिए विधानसभा बुलाने में राज्यपाल की निष्क्रियता के कारण पंजाब राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया गया है।11. पंजाब सरकार ने (क) यह घोषणा करने की मांग की है कि पंजाब के राज्यपाल पंजाब राज्य की विधानसभा को बुलाने या स्थगित करने के मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं; (ख) राज्यपाल के 23 फरवरी 2023 के पत्र को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र का एक रिट जिसमें कहा गया है कि विधान सभा को उसके बजट सत्र के लिए बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर निर्णय कानूनी सलाह प्राप्त करने के बाद ही लिया जाएगा; और (ग) पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव को 3 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे विधान सभा को उसके बजट सत्र के लिए बुलाने के लिए उचित आदेश जारी करने का निर्देश देना। 12.चूंकि बजट सत्र बुलाने की तारीख मुश्किल से तीन दिन दूर है, इसलिए याचिका का उल्लेख तत्काल आदेशों के लिए किया गया था, जिस पर इसे आज दोपहर 3:0 बजे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

13. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।श्री तुषार मेहता, भारत के सॉलिसिटर जनरल पहले प्रत्यर्थी की ओर से पेश होते हैं।श्री अजय पाल, अधिवक्ता दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए।

14. शुरुआत में, सॉलिसिटर जनरल ने पंजाब के राज्यपाल का 28 फरवरी 2023 का एक आदेश रिकॉर्ड पर रखा है।संदर्भ की सुविधा के लिए, आदेश नीचे निकाला गया हैः

ई.

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (1) के आधार पर मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, पंजाब के राज्यपाल, बनवारीलाल पुरोहित, इसके द्वारा पंजाब राज्य की सोलहवीं विधानसभा को अपने चौथे (बजट) सत्र के लिए शुक्रवार, 3 मार्च 2023 को सुबह पंजाब विधान सभा भवन, विधान भवन, चंडीगढ़ में बुलाता हूं।"

एफ.

15. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य की सोलहवीं विधानसभा को अपने चौथे (बजट) सत्र के लिए 3 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे बैठक करने के लिए बुलाया है।

जी.

16. राज्यपाल द्वारा उपरोक्त आदेश जारी किए जाने के साथ, याचिका में मांगी गई राहत काफी हद तक पूरी हो गई है।हालाँकि, याचिका का निपटारा करने से पहले, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें इस न्यायालय द्वारा अपने संवैधानिक कर्तव्य का प्रयोग करते हुए उजागर किया जाना चाहिए।

एच.

ए.

17. इन कार्यवाहियों की स्थापना की उत्पत्ति राज्य सरकार द्वारा सूचना के प्रकटीकरण के लिए राज्यपाल द्वारा जारी किए गए संचार में हुई है।संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य स्पष्ट किया गया है।यह प्रावधान निम्नलिखित शर्तों में हैः

“167. साज-सज्जा के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

बी.

राज्यपाल को सूचना, आदि-यह प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा -

(क) राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विधान के प्रस्तावों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सूचित करना;

सी.

(ख) राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के लिए प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करना जो राज्यपाल की मांग हो; और

(ग) यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है, तो वह कोई भी मामला जिस पर मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है, लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे।”

डी.

18. मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून बनाने के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को बताए।संवाद करने के कर्तव्य से परे जाकर, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के मामलों के प्रशासन और विधान के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करे जिसकी राज्यपाल को आवश्यकता हो।इसके अलावा, यदि राज्यपाल ऐसा चाहता है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह किसी भी मामले पर विचार के लिए मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत करे, जिस पर निर्णय एक मंत्री द्वारा लिया जाता है, जिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है।

ई.

एफ.

19. अनुच्छेद 167 के तहत जानकारी प्राप्त करने की राज्यपाल की शक्ति को संविधान के तहत संवैधानिक प्रमुख के रूप में उनके कर्तव्यों के संदर्भ में समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। राज्यपाल अनुच्छेद 167 के तहत जो जानकारी चाहते हैं, वह उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में सक्षम बनाएगी।उदाहरण के लिए, राज्यपाल के पास विधानसभा में पारित विधेयकों पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की शक्ति है।राज्यपाल के लिए यह निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि उक्त निर्णय लेने में उनकी सहायता करने वाली सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए।इसी तरह, राज्यपाल को यह पहचानने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी की आवश्यकता होती है कि क्या कोई निर्णय लिया गया है।

जी.

एच.

परिषद के विचार के बिना एक मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया गया।यदि मुख्यमंत्री अनुच्छेद 167 (ए) और अनुच्छेद 167 (बी) के तहत राज्यपाल को अनुरोध के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 167 (सी) के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो सकते हैं।इस प्रकार, मुख्यमंत्री को अनुच्छेद 167 के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक है ताकि राज्यपाल संविधान में निर्धारित अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।संविधान के निर्माता उपरोक्त प्रावधानों को शामिल करने में दूरदर्शी थे।वे यह सुनिश्चित करते हैं कि जहां एक ओर राज्य का प्रशासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री को सौंपा गया है, जो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, जो बदले में राज्य विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाता है, वहीं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में राज्यपाल को एक न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और ईमानदार प्रशासन सुनिश्चित करने का कर्तव्य सौंपा गया है।इस संदर्भ में संविधान सभा में अनुच्छेद 167 (अनुच्छेद 147 का मसौदा) पर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के भाषण का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है:1

बी.

सी.

“राज्यपाल के कार्यों और राज्यपाल द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों के बीच अंतर किया गया है।मेरा निवेदन है कि हालांकि राज्यपाल के पास अभी भी कोई कार्य नहीं है, यहां तक कि संवैधानिक राज्यपाल को भी कुछ कर्तव्यों का पालन करना है।मेरे अनुसार, उनके कर्तव्यों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।एक यह है कि उन्हें मंत्रालय को अपने पद पर बनाए रखना है।चूंकि मंत्रालय को अपनी खुशी के दौरान पद धारण करना है, इसलिए उसे यह देखना होगा कि क्या और कब उसे मंत्रालय के खिलाफ अपनी खुशी का प्रयोग करना चाहिए। राज्यपाल का दूसरा कर्तव्य मंत्रालय को सलाह देना, मंत्रालय को चेतावनी देना, मंत्रालय को एक विकल्प का सुझाव देना और पुनर्विचार के लिए कहना है।मुझे नहीं लगता कि इस सदन में कोई भी इस तथ्य पर सवाल उठाएगा कि राज्यपाल को यह कर्तव्य उन पर डालना चाहिए; अन्यथा, वह एक बिल्कुल अनावश्यक पदाधिकारी होगा:कुछ भी अच्छा नहीं है:वे किसी दल के प्रतिनिधि नहीं हैं, वे पूरे राज्य के लोगों के प्रतिनिधि हैं।जनता के नाम पर वह प्रशासन चलाते हैं।उसे यह देखना चाहिए कि प्रशासन को एक ऐसे स्तर पर चलाया जाए जिसे अच्छा, कुशल, ईमानदार प्रशासन माना जा सके।इसलिए, इन दो कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, जो राज्यपाल के पास हैं, यह देखना कि प्रशासन को शुद्ध, भ्रष्टाचार के बिना, निष्पक्ष रखा जाए, और प्रस्तावों को स्पष्ट किया जाए।

डी.

ई.

एफ.

जी.

1 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, विश्वनाथ दास के जवाब में, भारत की संविधान सभा की बहस (कार्यवाही)-खंड VIII (2 जून 1949)

एच.

541

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

ए.

मंत्रालय द्वारा लोगों की इच्छाओं के विपरीत नहीं हैं, और इसलिए उन्हें सलाह देना, उन्हें चेतावनी देना और उन्हें पुनर्विचार करने के लिए कहना-मैं सदन से पूछता हूं, राज्यपाल अपने कर्तव्यों को पूरा करने की स्थिति में कैसे है जब तक कि उनके पास कुछ जानकारी न हो?मेरा निवेदन है कि वह एक राज्यपाल के संवैधानिक कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकता है, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, जब तक कि वह जानकारी प्राप्त करने की स्थिति में न हो।"

बी.

20. संविधान के अनुच्छेद 174 में विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति निहित है जो नीचे दी गई है:

"174. राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन।–

सी.

(1) राज्यपाल समय-समय पर सदन या राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर बैठक के लिए बुलाएगा जो वह उचित समझे, लेकिन एक सत्र में इसकी अंतिम बैठक और अगले सत्र में इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि के बीच छह महीने का हस्तक्षेप नहीं होगा।

डी.

(2) राज्यपाल समय-समय पर (क) सदन या किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है; (ख) विधानसभा को भंग कर सकता है।"

ई.

21. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 2 के मामले में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है।निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हैं:

एफ.

"28. सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली के तहत जैसा कि इसमें सन्निहित है

हमारे संविधान में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है और वह अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर संविधान द्वारा या उसके तहत उसे प्रदान की गई अपनी सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करता है।

जी.

राज्यपाल से संविधान द्वारा या उसके तहत अपने विवेक से अपने कार्यों का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है।

32. यह अंग्रेजी संवैधानिक कानून का एक मौलिक सिद्धांत है कि मंत्रियों को प्रत्येक कार्यकारी कार्य के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए।में।

2 (1974) 2 एस. सी. सी. 831

एच.

संप्रभु इंग्लैंड कभी भी अपनी जिम्मेदारी पर काम नहीं करता है।संप्रभु की शक्ति इस व्यावहारिक नियम द्वारा सशर्त है कि क्राउन को अपने कार्य के लिए ज़िम्मेदार होने के लिए सलाहकार ढूंढने चाहिए।उन सलाहकारों को हाउस ऑफ कॉमन्स का विश्वास होना चाहिए। अंग्रेजी संवैधानिक कानून के इस नियम को शामिल किया गया है

हमारा संविधान।भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में सरकार के एक संसदीय और जिम्मेदार रूप की परिकल्पना की गई है, न कि राष्ट्रपति सरकार के रूप में।संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की शक्तियाँ अलग नहीं हैं।

बी.

142. अध्यादेशों द्वारा कानून बनाने की असाधारण शक्तियां, बर्खास्तगी से पहले लोक सेवकों के खिलाफ पूछताछ, आपातकाल की घोषणा और राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लागू करना, गहन महत्व की विशाल शक्तियां हैं।

सी.

वास्तव में, लोक सभा को बुलाने और स्थगित करने और भंग करने और संसद द्वारा पारित विधेयकों को वापस करने की शक्ति भी उनके पास है।अगर हम हर उस कार्य में सरदार लाल और जयंतीलाल के अनुपात का विस्तार करते हैं जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रदान करते हैं, तो संसदीय लोकतंत्र एक डोप बन जाएगा और राष्ट्रीय चुनाव एक संख्यात्मक अभ्यास बन जाएंगे।

डी.

महंगी निरर्थकता में।हम यह मानने के लिए मजबूर होंगे कि देश के शासन की शक्तियों का प्रयोग करने वाले दो समानांतर प्राधिकरण हैं, जैसा कि द्वैरतन्त्र के दिनों में था, सिवाय इसके कि व्हाइटहॉल को राष्ट्रपति भवन और राजभवन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।मंत्रिमंडल राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार में संघ और राज्य स्तरों पर सिकुड़ जाएगा और अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों के सरगम को गंभीरता से देखते हुए, राज्य का प्रमुख भारत के लिए महामहिम के राज्य सचिव का पुनर्जन्म होगा, जिसे ब्रिटिश संसद भी परेशान नहीं करेगी-अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में सत्ता में थोड़ा लंबा।इस तरह की विकृति, व्याख्या से, हमें ऐसा लगता है, वस्तुतः हमारे गणराज्य की संरचना, सार और जीवन शक्ति को नष्ट करने के बराबर होगी, विशेष रूप से जब हम याद करते हैं कि राज्यपाल केवल नियुक्त पदाधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति स्वयं एक सीमित अप्रत्यक्ष आधार पर चुने जाते हैं।जैसा कि हम पहले ही संकेत दे चुके हैं, इस न्यायालय के अधिकारियों की भारी संख्या ने दशकों से साबित किया है कि भारत में सरकार और संसदीय प्रणाली के कैबिनेट रूप को अपनाया गया है और ए.

ई.

एफ.

जी.

एच.

543

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] ए

विपरीत अवधारणा को हमारी राजनीतिक प्रतिभा, संवैधानिक पंथ और संस्कृति के लिए अविश्वसनीय रूप से एलर्जी के रूप में खारिज किया जाना चाहिए।"

(बल दिया गया**)**

22. नबाम में एक संविधान पीठ ने इस स्थिति को दोहराया था।

रेबिया बनाम डी**.** अध्यक्ष**,** अरुणाचल प्रदेश विधानसभा **3.**

बी.

संवैधानिक प्रावधान और इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को बुलाने के लिए राज्यपाल को सौंपे गए अधिकार का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर किया जाना है।यह एक संवैधानिक क्षेत्र नहीं है जिसमें राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।वर्तमान मामले में, राज्यपाल आम चुनाव के बाद पहली बार सदन को नहीं बुला रहे थे, बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा आम चुनाव में विधिवत निर्वाचित सरकार के कहने पर बजट सत्र बुलाने की सलाह दी गई थी।स्पष्ट रूप से, राज्यपाल ऐसा करने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

सी.

डी.

23. सदन को बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद के अनुरोध का जवाब देते हुए, 23 फरवरी 2023 को राज्यपाल के संचार में मंत्रिमंडल के निर्णय का उल्लेख किया गया।हालाँकि, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के ट्वीट और 14 फरवरी 2023 के उनके पत्र का भी उल्लेख किया और फिर कहा कि चूंकि ट्वीट और पत्र दोनों "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" और "बेहद अपमानजनक" थे, इसलिए वह "इस मुद्दे पर" कानूनी सलाह लेने के लिए मजबूर थे और इसके बाद वह अनुरोध पर निर्णय लेंगे।विधानसभा का बजट सत्र बुलाया जाना चाहिए या नहीं, इस पर कानूनी सलाह लेने का कोई अवसर नहीं था।राज्यपाल स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा उन्हें दी गई सलाह से बंधे थे।

ई.

एफ.

24. यह कहने के बाद, यह भी रेखांकित करना आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनकी संविधान द्वारा निर्दिष्ट भूमिकाएं और दायित्व हैं। राज्यपाल को राज्य के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मामलों पर अनुच्छेद 167 (बी) के संदर्भ में मुख्यमंत्री से जानकारी लेने का अधिकार है।एक बार ऐसी जानकारी मांगी जाने के बाद, मुख्यमंत्री इसे प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।ट्वीट का लहजा और मुख्यमंत्री का पत्र वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ जाता है।राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर

अनुच्छेद 167 (बी) के संदर्भ में मुख्यमंत्री पर लगाए गए संवैधानिक कर्तव्य में स्पष्ट रूप से लापरवाही की जाए।फिर भी, दूसरी ओर, ऐसा करने में मुख्यमंत्री की लापरवाही राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के संदर्भ में बजट सत्र के लिए सदन को बुलाने के संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं करने का औचित्य प्रदान नहीं करेगी।अनुच्छेद 32 के तहत याचिका की स्थापना के बाद विधानसभा बुलाई गई थी।

बी.

25. विवाद की उत्पत्ति के लिए दो अलग-अलग स्तरों पर इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है:पहला, यह सुनिश्चित करना कि विधान सभा को बुलाने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने का राज्यपाल का संवैधानिक कर्तव्य बिना किसी देरी या आपत्ति के पूरा हो; और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि संविधान के अनुच्छेद 167 (बी) के संदर्भ में राज्यपाल को जानकारी देने का मुख्यमंत्री का दायित्व पूरा हो।संसदीय लोकतंत्र के कार्यकरण के लिए दो समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू हैं।पहला, संविधान के एक विशिष्ट प्रावधान के तहत अपने दायित्व को पूरा करने में एक संवैधानिक प्राधिकरण की विफलता दूसरे को अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने से इनकार करने का औचित्य प्रदान नहीं करती है।दूसरा, जबकि यह न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 (1) (ए) में सन्निहित मौलिक मूल्य के महत्व से अवगत है, इस बात पर जोर देना आवश्यक हो जाता है कि संवैधानिक विमर्श को शिष्टाचार और परिपक्व राजनीतिक कौशल की भावना के साथ संचालित किया जाना चाहिए।26. लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीतिक मतभेदों पर काम करना होगा और संयम और परिपक्वता की भावना के साथ उन्हें सुलझाना होगा।संवैधानिक कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत को निचले स्तर तक की दौड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।जब तक इन सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तब तक संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति खतरे में पड़ सकती है।इस न्यायालय के समक्ष ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत राज्यपाल को विधानसभा बुलाने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गई।यह अकल्पनीय है कि विधानसभा का बजट सत्र नहीं बुलाया जाएगा।हम केवल यह उम्मीद कर सकते हैं कि परिपक्व संवैधानिक राजनीतिक कौशल यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, क्योंकि हम अपनी अपेक्षा

दोहराते हैं कि संवैधानिक अधिकारियों को उन कार्यालयों में जनता के विश्वास से अवगत होना चाहिए जिन पर वे कब्जा करते हैं।जो सार्वजनिक न्यास उन्हें सौंपा गया है, उसका उद्देश्य हमारे नागरिकों के हितों की सेवा करना और यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्र के कार्य समानता की भावना के साथ संचालित किए जाएं ताकि संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

545

पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल और अन्य के लिए प्रधान सचिव [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई]

ए.

27. इन टिप्पणियों के साथ, याचिका का निपटारा हो जाएगा।28. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.